

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट कैंप रीवा (म0प्र0)



Rs. 20/-

SSI
12.9.14

R-3354-11/14

1. अकबर वक्स तनय सत्ता वक्स उम्र 42 वर्ष
2. कृष्णलाल तनय दौलत पटेल उम्र 60 वर्ष
3. मो0 अजीज तनय अजायब वक्स उम्र 45 वर्ष
4. गुलसेर तनय अब्दुल सत्तार उम्र 32 वर्ष
5. मो0 असरफ तनय हबीब वक्स उम्र 40 वर्ष
6. मो0 अयूम वक्स तनय कुमार वक्स उम्र 70 वर्ष

सभी निवासी ग्राम चन्देह तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0।

.....निगरानी कर्तागण

बनाम

1. मेहरू निशा पत्नी वेवा ईदा वक्स
2. गुलसेर अहमद तनय ईदा वक्स
3. गुलबहार अहमद तनय ईदा वक्स

तीनों निवासी ग्राम चन्देह तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0।

.....गैर निगरानीकर्तागण

~~निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान अथर कलेक्टर मऊगंज जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 79/अ-3/2013-14 आदेश दिनांक 06/08/2014 को पारित किया गया।~~

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू - राजस्व संहिता 1959 ई0।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1. यह कि प्रकरण की संक्षिप्त कहानी इस प्रकार है कि ग्राम चन्देह की भूमि नं. 58/1क रकवा 0.38; 70/7 रकवा 0.08, 70/1 रकवा 0.08, 72/6 रकवा 0.06, 200/6 रकवा 0.43 कित्ता 4 का नक्शा तरमीम करने हेतु

M

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3354-III/14

जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश अकबर/ मेहरू	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-2-2016	<p>प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह के ग्राह्यता पर तर्क श्रवण किये गये ।</p> <p>2 प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो के संलग्न अपर कलेक्टर के प्रकरण क्रमांक 79/अ-3/13-14 में पारित आदेश दिनांक 6-8-14 का अवलोकन किया गया । अवलोकन से पाया गया कि अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी नायब तहसीलदार पहाड़ी तहसील हनुमना जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 12/अ-3/11-12 में पारित नक्शा तरमीम आदेश दिनांक 25-1-12 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी, जो उन्हें सुनवाई का क्षेत्राधिकार न होने से अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 6-8-14 से सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने के आदेश के साथ निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के उक्त आदेश दिनांक 6-8-14 के अनुक्रम में यह निगरानी नायब तहसीलदार के नक्शा तरमीम आदेश दिनांक 25-1-12 पारित प्रकरण क्रमांक 12/अ-3/11-12 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>3 उक्त संबंध में प्रकरण में संलग्न अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया। अपर कलेक्टर द्वारा नवीन संशोधन आदेश दिनांक 30.12.2011 के बाद से निगरानी सुनने की अधिकारिता न होने के आधार पर सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ आवेदक की निगरानी निरस्त की गयी है।</p> <p>4 प्रकरण में मुख्य वाद बिन्दु नक्शा तरमीम से संबंधित है। इस संबंध में अधिसूचना क्रमांक 2543-6408-सात-ना-1 दिनांक 27 जून</p>	

M

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश अकबर/ मेहरू	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
------------------	-----------------------------------	---

68 (राजपत्र 30.6.68) द्वारा संहिता की धारा 71, 72, 73 (वर्तमान धारा 58, 69, 70) की शक्तियां शासन द्वारा तहसीलदार को प्रदत्त की गयी हैं। ऐसी दशा में तहसीलदार को संहिता की धारा 70 के अंतर्गत नक्शा तरमीम करने की अधिकारिता है। उक्त धारा के अंतर्गत तहसीलदार का नक्शा तरमीम का आदेश मूल आदेश की श्रेणी में आता है। इस संबंध में संहिता की धारा 44 में यह प्रावधान है कि " 44 अपील तथा अपीलीय अधिकारी (1) जहां अन्यथा उपबंधित किया गया हो, उसके अतिरिक्त इस संहिता अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रत्येक मूल आदेश की अपील हो सकेगी—

(क) यदि ऐसा आदेश उपखण्डीय पदाधिकारी के अधीनस्थ किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा दिया गया हो, चाहे आदेश देने वाले पदाधिकारी को कलेक्टर की शक्तियां विनिहित की गई हों, उपखण्डीय अधिकारी को अपील होगी—

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित नक्शा तरमीम के मूल आदेश के विरुद्ध धारा 44(1) के तहत अपील हो सकती है।

तहसीलदार का नक्शा तरमीम का आदेश अंतिम स्वरूप का है जो अपील योग्य है ऐसी स्थिति में अपील योग्य आदेश के विरुद्ध निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं है। इस कारण न्यायहित में यह आदेश दिए जाते हैं कि इस न्यायालय के आदेश की संसूचना आवेदक को होने तक की अवधि की छूट अपील प्रस्तुत करने पर आवेदक को प्रदान की जाये। तथा आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि वे यदि अपील करना चाहते हैं तो सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। उपरोक्तानुसार निर्देशों के साथ उक्त निगरानी प्रकरण का निराकरण





प्रकरण क्रमांक R 3354-III/14

जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश अकबर/ मेहरू	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
------------------	-----------------------------------	---

किया जाकर प्रकरण समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों।
आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। प्रकरण दारि. हो।


(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य

9.2.16

M